



# मध्यप्रदेश राजापत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 मार्च 2014—फाल्गुन 19, शक 1935

#### परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. एफ-22-05-2008-आठ.—परिवहन विभाग की समसंबंधिक अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 2013 एवं 6 मार्च 2014 के तारतम्य में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य शासन एतदद्वारा, लोक सभा चुनाव, 2014 की घोषणा से निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अस्थाई रूप से यान पर निम्नानुसार प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है:—

(क) यान के अग्र शीर्ष भाग पर, लाल बत्ती

(ख) यान के अग्र शीर्ष भाग पर, पीली बत्ती

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

1. अति. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत प्रेक्षक व प्राधिकृत उच्च अधिकारीगण,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेनू तिवारी, अपर सचिव.